

प्रेषक,

जी०के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग -10

लखनऊ: दिनांक: 02 अप्रैल, 2008

विषय :: **वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु अग्रिम रूप से संलग्न सूची के अनुसार रु० 26,80,00,000/- (रुपये छब्बीस करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03 - राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या-जी.आई.-134 / 1-11-2007 -46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्तःसुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यदि राहत वितरण हेतु आवंटित धनराशि कम पड़े तो शेष वांछित धनराशि कोषागार नियम -27 के अन्तर्गत आहरित कर ली जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रभावित व्यक्तियों को देय सहायता प्रत्येक दशा में विलम्बतम 03 दिन के अन्दर वितरित हो जाय। कोषागार नियम -27 से आहरित धनराशि के समायोजन तथा धनावंटन प्रस्ताव शासन को 10 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। अग्रतर यह सुनिश्चित किया जाय कि कोषागार नियम -27 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण एवं वितरण केवल दैवी आपदाओं जैसे -अग्निकांड, आँधी, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली अतिवृष्टि, बाढ़ आदि के फलस्वरूप घटित घटनाओं के लिये ही किया जायेगा। सामान्य दुर्घटनाओं -सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस धनराशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर -3 में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 में निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति कोइ मदों में राहत अनुमन्य है तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4815/1-10-2007-14(45)/2003, दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 के अनुसार दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रु0 1000/- से कम धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रु0 1000/- या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6. राहत धनराशि का वितरण गाँवों में व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जायेगा। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण-पत्र के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्रदान कर इसे अभिलेख में रखा जाय। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्रामसभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार विभागों को धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693/1-11-2005-रा0-11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुये वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग -1 के प्रस्तर -369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी०के० टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या- 1933(1) / 1-10-2008-12(71) / 2008, तद्दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
 2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ०प्र० लखनऊ।
 4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
 5. समस्त कोषाधिकार, उत्तर प्रदेश।
 6. वित्त व्यय नियंत्रक, अनुभाग -5
 7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियां)/राजस्व अनुभाग -6/11
 8. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
 9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव

शासनादेश संख्या— 1933 / 1-10-2008-12(71) / 2008,
दिनांक अप्रैल, 2008 का संलग्नक।

क्रम	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि
1.	2.	3
1.	आगरा	3000000
2.	अलीगढ़	3000000
3.	एटा	3000000
4.	फिरोजाबाद	3000000
5.	हाथरस	3000000
6.	मैनपुरी	3000000
7.	मथुरा	3000000
8.	इलाहाबाद	3000000
9.	फतेहपुर	3000000
10.	कौशाम्बी	3000000
11.	प्रतापगढ़	3000000
12.	आज़मगढ़	5000000
13.	बलिया	5000000
14.	मऊ	5000000
15.	बरेली	3000000
16.	बदायूँ	3000000
17.	पीलीभीत	5000000
18.	शाहजहाँपुर	3000000
19.	बस्ती	5000000
20.	सन्तकबीरनगर	5000000
21.	सिद्धार्थनगर	5000000
22.	बाँदा	5000000
23.	चित्रकूट	5000000
24.	हमीरपुर	5000000
25.	महोबा	5000000

26.	बहराइच	5000000
27.	बलरामपुर	5000000
28.	गोण्डा	5000000
29.	श्रावस्ती	5000000
30.	अम्बेडकरनगर	3000000
31.	बाराबंकी	5000000
32.	फैजाबाद	5000000
33.	सुलतानपुर	3000000
34.	देवरिया	5000000
35.	गोरखपुर	5000000
36.	कुशीनगर	5000000
37.	महाराजगंज	5000000
38.	झाँसी	5000000
39.	जालौन	5000000
40.	ललितपुर	5000000
41.	औरैया	3000000
42.	इटवा	3000000
43.	फर्रुखाबाद	3000000
44.	कानपुर देहात	3000000
45.	कानपुर नगर	3000000
46.	कन्नौज	3000000
47.	हरदोई	3000000
48.	लखनऊ	3000000
49.	लखीमपुर खीरी	5000000
50.	रायबरेली	3000000
51.	सीतापुर	5000000
52.	उन्नाव	3000000
53.	बागपत	3000000
54.	बुलन्दशहर	3000000
55.	गौतमबुद्धनगर	3000000
56.	गाजियाबाद	3000000

57.	मेरठ	3000000
58.	मिर्जापुर	5000000
59.	संतरविदास नगर	3000000
60.	सोनभद्र	5000000
61.	बिजनौर	3000000
62.	ज्योतिबाफुलेनगर	5000000
63.	मुरादाबाद	3000000
64.	रामपुर	3000000
65.	मुजफ्फरनगर	3000000
66.	सहारनपुर	3000000
67.	चन्दौली	3000000
68.	गाजीपुर	3000000
69.	जौनपुर	3000000
70.	वाराणसी	3000000
		268000000

(रूपये छब्बीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

(जी० के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव ।